



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 02 अगस्त, 2024 / 11 श्रावण, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

**SPECIFIC NOTIFICATION
FINANCE DEPARTMENT**

NOTIFICATION

Shimla, the 1st August, 2024

No. Fin-2-C(12)2/2024 (I).—Government of Himachal Pradesh hereby notifies the sale of Himachal Pradesh Government Stock (Securities) of 9-year tenure for an aggregate amount of

Rs. **500 crore** (Nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called specific Notification) as also the terms and conditions specified in the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003 dated July 20, 2007 of Government of Himachal Pradesh.

Object of the Loan :

1. (i) The Proceeds of the State Government Securities will be utilized for the development programme of the State of Himachal Pradesh.
- (ii) Consent of Central Government has been obtained to the floatation of this loan as required by Article 293(3) of the Constitution of India.

Method of Issue :

2. Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office (PDO) Fort, Mumbai- 400 001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6.1 of the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003 dated July 20, 2007 at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the **yield** based auction under multiple price formats.

Allotment to Non-competitive Bidders :

3. The Government Stock upto 10 % of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1 % of the notified amount for a single bid as per the Revised Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure-II).

Place and Date of Auction :

4. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, at its Mumbai Office, Fort, Mumbai - 400 001 on **August 06, 2024**. Bids for the auction should be submitted in electronic format, on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system as stated below on **August 06, 2024**:

- (a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system between 10.30 A.M. and 11.30 A.M.
- (b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system between 10.30 A.M. and 11.00 A.M.

Result of the Auction :

5. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India on its website on the same day. The payment by successful bidders will be on **August 07, 2024**.

Method of Payment :

6. Successful bidders will make payments on **August 07, 2024** before close of banking hours by means of cash, bankers' cheque/pay order, demand draft payable at Reserve Bank of India, Mumbai/New Delhi or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India, Mumbai (Fort)/New Delhi.

Tenure :

7. The Stock will be of **9-year** tenure. The tenure of the Stock will commence on **August 07, 2024**.

Date of Repayment :

8. The loan will be repaid at par on **August 07, 2033**.

Rate of Interest :

9. The cut-off yield determined at the auction will be the coupon rate percent per annum on the Stock sold at the auction. The interest will be paid on **February 07 and August 07**.

Eligibility of Securities :

10. The investment in Government Stock will be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR) under section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. The stocks will qualify for the ready forward facility.

By order and in the name of the Governor of Himachal Pradesh,

Sd/-
(DEVESH KUMAR, IAS)
*Principal Secretary (Finance),
to the Government of Himachal Pradesh.*

—————
**SPECIFIC NOTIFICATION
FINANCE DEPARTMENT**

NOTIFICATION

Shimla, the 1st August, 2024

No. Fin-2-C(12)2/2024 (II).—Government of Himachal Pradesh hereby notifies the sale of Himachal Pradesh Government Stock (Securities) of **11**-year tenure for an aggregate amount of **Rs. 700 crore** (Nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called specific Notification) as also the terms and conditions specified in the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003 dated July 20, 2007 of Government of Himachal Pradesh.

Object of the Loan :

- (i) The Proceeds of the State Government Securities will be utilized for the development programme of the State of Himachal Pradesh.
- (ii) Consent of Central Government has been obtained to the floatation of this loan as required by Article 293(3) of the Constitution of India.

Method of Issue :

2. Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office (PDO) Fort, Mumbai- 400 001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6.1 of the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003 dated July 20, 2007 at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the **yield** based auction under multiple price formats.

Allotment to Non-competitive Bidders :

3. The Government Stock upto 10 % of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1 % of the notified amount for a single bid as per the Revised Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure-II).

Place and Date of Auction :

4. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, at its Mumbai Office, Fort, Mumbai - 400 001 on **August 06, 2024**. Bids for the auction should be submitted in electronic format, on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system as stated below on **August 06, 2024**:

- (a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system between 10.30 A.M. and 11.30 A.M.
- (b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system between 10.30 A.M. and 11.00 A.M.

Result of the Auction :

5. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India on its website on the same day. The payment by successful bidders will be on **August 07, 2024**.

Method of Payment :

6. Successful bidders will make payments on **August 07, 2024** before close of banking hours by means of cash, bankers' cheque/pay order, demand draft payable at Reserve Bank of India, Mumbai/New Delhi or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India, Mumbai (Fort)/New Delhi.

Tenure :

7. The Stock will be of **11-year** tenure. The tenure of the Stock will commence on **August 07, 2024**.

Date of Repayment :

8. The loan will be repaid at par on **August 07, 2035**.

Rate of Interest :

9. The cut-off yield determined at the auction will be the coupon rate percent per annum on the Stock sold at the auction. The interest will be paid on **February 07 and August 07**.

Eligibility of Securities :

10. The investment in Government Stock will be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR) under section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. The stocks will qualify for the ready forward facility.

By order and in the name of the Governor of Himachal Pradesh,

Sd/-
(DEVESH KUMAR, IAS)
Principal Secretary (Finance),
to the Government of Himachal Pradesh.

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 02 मार्च, 2024

संख्या: टी0सी0पी0-एफ05/5/2023.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा (1) की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 2024 के मार्च माह के 02 दिवस को ऐसा दिन नियत करते हैं, जिसको पूर्वोक्त अधिनियम के उपबंध सरकारी अधिसूचना संख्या पीबीडब्ल्यू (बी एंड आर) (बी) 4(11)-6/84, दिनांक 01-07-1986 के द्वारा अधिसूचित "रोहडू योजना क्षेत्र" में सम्मिलित राजस्व गांवों के निम्नलिखित भाग में प्रवृत्त होंगे :-

विनिर्देश

क्रम संख्या	राजस्व गांव का नाम	हदबस्त संख्या	विवरण (विभाजित/खसरा संख्या सहित)	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	जनसंख्या (जनगणना 2011)
1.	पओली (भागतः)	66	खसरा नंबर 1-4, 7-15, 17-403, 414-430, 460-479, 481-502 और 522	24.42	192
2.	बखिरना (भागतः) पब्वर नदी का बायां किनारा	121	खसरा नंबर 1-83, 134-238, 257-366 और 370-630	33.61	521
3.	जाखड़ (भागतः)	132	खसरा नंबर 28-30, 32-35, 37-56, 59-79, 81-84, 122-144, 185-190, 213, 221-283 और 285-290	19.93	772
4.	परसा (भागतः)	116	खसरा नंबर 739-744, 749-754 एवं 760-816	21.17	615
5.	मुंचराह (भागतः)	120	खसरा नंबर 1-17	2.26	801
6.	बरारा (भागतः)	62	खसरा नंबर 1331-1350 एवं 1357-1440	3.16	620
7.	समोली (भागतः)	136	खसरा नंबर 1-835, 909, 910, 913-966, 1035-1271, 1274, 1276-1288, 1318, 1323-1364, 1373-1391, 1408-1409, 1414-1446, 1491-1493, 1495 और 1499-1500	53.32	595
8.	निचली कोटि (भागतः)	118	खसरा नंबर 1-5, 23 एवं 25-122	17.27	909
9.	उखली (भागतः)	115	खसरा नंबर 1 व 7-34	35.80	60
10.	बंचूना (भागतः)	108	खसरा नंबर 1843, 1846-1848, 1850-1962 और 2006-2116	2.25	470
कुल . .				213.19	5555

उपरोक्त राजस्व महालों/गांवों में, उपर्युक्त अधिनियम के उपबंधों के लागू होने के परिणामस्वरूप, अब हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) के उपबंध "रोहडू योजना क्षेत्र" की पुनः परिभाषित सीमाओं पर लागू होंगे और कुल राजस्व महाल/गांव जिन पर हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) के उपबंध लागू हैं, अब इस प्रकार होंगे :-

क्रम संख्या	राजस्व गांव का नाम	हदबस्त संख्या	विवरण (विभाजित/खसरा संख्या सहित)	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	जनसंख्या (जनगणना 2011)
1.	पओली (भागतः)	66	खसरा नंबर 1-4, 7-15, 17-403, 414-430, 460-479, 481-502 और 522	24.42	192
2.	बखिरना (भागतः) पब्बर नदी का बायां किनारा	121	खसरा नंबर 1-83, 134-238, 257-366 और 370-630	33.61	521
3.	जाखड़ (भागतः)	132	खसरा नंबर 28-30, 32-35, 37-56, 59-79, 81-84, 122-144, 185-190, 213, 221-283 और 285-290	19.93	772
4.	परसा (भागतः)	116	खसरा नंबर 739-744, 749-754 एवं 760-816	21.17	615
5.	मुंचराह (भागतः)	120	खसरा नंबर 1-17	2.26	801
6.	बरारा (भागतः)	62	खसरा नंबर 1331-1350 एवं 1357-1440	3.16	620
7.	समोली (भागतः)	136	खसरा नंबर 1-835, 909, 910, 913-966, 1035-1271, 1274, 1276-1288, 1318, 1323-1364, 1373-1391, 1408-1409, 1414-1446, 1491-1493, 1495 और 1499-1500	53.32	595
8.	निचली कोटि (भागतः)	118	खसरा नंबर 1-5, 23 एवं 25-122	17.27	909
9.	उखली (भागतः)	115	खसरा नंबर 1 व 7-34	35.80	60
10.	बंचूना (भागतः)	108	खसरा नंबर 1843, 1846-1848, 1850-1962 और 2006-2116	2.25	470
11.	एनएसी रोहड़ू गंगटोली (शहरी) को सम्मिलित करके		पूर्ण राजस्व महाल	146.91	6875
12.	बखिरना	121	पब्बर नदी के दाहिने किनारे पर बखिरना 121 भाग जिसमें खसरा नंबर 633 से 777, 962	107.00	521
13.	अन्नू	163	शिकडी खाड के बाएं किनारे पर जिसमें खसरा संख्या 1 से 112 और 143 से 480 शामिल हैं	239.00	716
14.	गंगटोली (ग्रामीण)	64	पूर्ण राजस्व महाल	108.00	1389
कुल . .				814.10	15056

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित / -
(देवेश कुमार),

प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Tcp-F05/5/2023, Dated 02-03-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 2nd March, 2024

No. TCP-F05/5/2023.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section (1) of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint **2nd day of 3rd month of 2024** as the day on which the provisions of the aforesaid Act shall come into force in the following part of Revenue Villages included in the Rohru Planning Area notified *vide* Government Notification No. PBW (B&R)(B) 4(11)-6/84, dated 1-07-1986 namely:—

Sl. No.	Name of Revenue Village	Hadbast No.	Description (Bifurcating/Including Khasra Nos.)	Area in Hectares	Population (Census 2011)
1.	Paoli (Partly)	66	Khasra Nos. 1-4, 7-15, 17-403, 414-430, 460-479, 481-502 and 522.	24.42	192
2.	Bakhirna (Partly) Left bank of river Pubber .	121	Khasra Nos. 1-83, 134-238, 257-366 and 370-630.	33.61	521
3.	Jkhar (Partly)	132	Khasra Nos. 28-30, 32-35, 37-56, 59-79, 81-84, 122-144, 185-190, 213, 221-283 and 285-290.	19.93	772
4.	Parsa (Partly)	116	Khasra No. 739-744, 749-754 and 760-816.	21.17	615
5.	Munchharah (Partly)	120	Khasra No. 1-17.	2.26	801
6.	Berara (Partly)	62	Khasra No. 1331-1350 and 1357-1440.	3.16	620
7.	Samoli (Partly)	136	Khasra No. 1-835, 909, 910, 913-966, 1035-1271, 1274, 1276-1288, 1318, 1323-1364, 1373-1391, 1408-1409, 1414-1446, 1491-1493, 1495 and 1499-1500.	53.32	595
8.	Lower Koti (Partly)	118	Khasra No. 1-5, 23 and 25-122.	17.27	909
9.	Ukhli (Partly)	115	Khasra No. 1 and 7-34	35.80	60

10.	Banchuna (Partly)	108	Khasra No. 1843, 1846-1848, 1850-1962 and 2006-2116.	2.25	470
Total . .				213.19	5555

Consequent upon the enforcement of the provisions of the Act *ibid* in above Revenue Villages, the provisions of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), shall apply to the re-defined limits of Rohru Planning Area and total revenue Villages over which provisions of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) are enforced shall, now be as follows:—

Sl. No.	Name of Revenue Village	Hadbast No.	Description (Bifurcating/Including Khasra Nos.)	Area in Hectares	Population (Census 2011)
1.	Paoli (Partly)	66	Khasra Nos. 1-4, 7-15, 17-403, 414-430, 460-479, 481-502 and 522.	24.42	192
2.	Bakhirna (Partly) Left bank of river Pubber .	121	Khasra Nos. 1-83, 134-238, 257-366 and 370-630.	33.61	521
3.	Jkhar (Partly)	132	Khasra Nos. 28-30, 32-35, 37-56, 59-79, 81-84, 122-144, 185-190, 213, 221-283 and 285-290.	19.93	772
4.	Parsa (Partly)	116	Khasra No.739-744, 749-754 and 760-816.	21.17	615
5.	Munchharah (Partly)	120	Khasra No. 1-17	2.26	801
6.	Berara (Partly)	62	Khasra No.1331-1350 and 1357-1440.	3.16	620
7.	Samoli (Partly)	136	Khasra No. 1-835, 909, 910, 913-966, 1035-1271, 1274, 1276-1288, 1318, 1323-1364, 1373-1391, 1408-1409, 1414-1446, 1491-1493, 1495 and 1499-1500.	53.32	595
8.	Lower Koti (Partly)	118	Khasra No. 1-5, 23 and 25-122.	17.27	909
9.	Ukhli (Partly)	115	Khasra No. 1 and 7-34	35.80	60
10.	Banchuna (Partly)	108	Khasra No. 1843, 1846-1848, 1850-1962 and 2006-2116.	2.25	470
11.	MC Rohru including Gangtoli (Urban)		Complete Revenue Mohal	146.91	6875

12.	Bakhirna	121	Part on right bank of river Pubber comprising Khasra Nos. 633 to 777, 962.	107.00	521
13.	Annu	163	Part on left bank of Shikdi Khad comprising Khasra Nos. 1 to 112 and 143 to 480.	239.00	716
14.	Gangtoli (Rural)	64	Complete Revenue Mohal	108.00	1389
Total . .				814.10	15056

By order,

Sd/-

(DEVESH KUMAR),
Principal Secretary (TCP) .

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला -171 002, 24 जुलाई, 2024

संख्या: रैव डी (जी) 6-9/2019-पार्ट-1.—हिमाचल प्रदेश पट्टा (संशोधन) नियम, 2023 के प्रारूप को, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 29-05-2024 द्वारा, हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 19) की धारा 26 की उप-धारा (2) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम संख्यांक 18) की धारा 13 की उप-धारा(3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार जन साधारण से आक्षेपों और सुझावों को आमंत्रित करने के लिए 05-06-2024 को राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था;

और इस निमित्त नियत अवधि के भीतर कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-जोत, अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 19) की धारा 26 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम संख्यांक 18) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या: रैव-डी (जी) 6-69/2011-पार्ट III तारीख 4-03-2014 द्वारा अधिसूचित और तारीख 05-03-2014 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 2013 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थातः—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पट्टा चतुर्थ (संशोधन) नियम, 2024 है। (2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. नियम 7 का संशोधन	हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 2013 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 7 में, विद्यमान परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थातः—

	"परन्तु यह और भी कि उपयोगकर्ता अभिकरण के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन अनुमोदन के पश्चात् छह महीने के भीतर पट्टा विलेख निष्पादित करना अनिवार्य होगा।"
3. नियम 8 का संशोधन	<p>उक्त नियमों के नियम 8 में:-</p> <p>(क) खण्ड (i) के अन्तर्गत द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित 'परन्तुक' रखा जाएगा, अर्थात:-</p> <p>"परन्तु यह और कि जल विद्युत परियोजनाओं (एच. ई. पी. एस.) और अन्य अवसंरचनात्मक परियोजनाओं, जिनके लिए सरकारी वन भूमि राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यपवर्तित की गई है, तो पट्टा भाटक/रकम प्रतिवर्ष रु0 5/- प्रति वर्गमीटर की दर से प्रभारित की जाएगी;</p> <p>(ख) खण्ड (ii) में निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-</p> <p>"परन्तु परियोजना विकासकर्ता जो सम्पूर्ण चालीस वर्षों के लिए पट्टा राशि एक ही किश्त में जमा करवाना चाहते हैं उन्हें परियोजना के लिए पट्टा राशि में होने वाली प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात् वृद्धि से छूट दी जाएगी।"</p>

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /-
(ओंकार चंद शर्मा),
अति० मुख्य सचिव (राजस्व)।

[Authoritative English Text of this Department's Notification No. Rev-D(G)6-9/2019-Part-1, dated 24-07-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 24th July, 2024

No. Rev-D (G)6-9/2019 Part-1.—WHEREAS, the draft Himachal Pradesh Lease (4th Amendment) Rules, 2024 were published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 05-06-2024 for inviting objection(s) and suggestion(s) from the general public *vide* this department notification of even number dated 29-05-2024 as required under section 13 of the Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilization Act, 1974 (Act No 18 of 1974) and Section 26 of the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act, 1972 (Act No. 19 of 1973).

AND WHEREAS, no objection(s) or suggestion(s) has been received in this behalf, within the stipulated period.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 13 of the Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilization Act, 1974 (Act No 18 of 1974) and Section 26 of the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act, 1972 (Act No. 19 of 1973), the

Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Lease Rules, 2013 notified *vide* this Department Notification No. Rev-D (G) 6-69/2011 Part-III, dated 04-03-2014 and published in Rajpatra, Himachal Pradesh on 05-03-2014, namely:—

1. Short title and commencement	<p>(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Lease (4th Amendment) Rules, 2024.</p> <p>(2) These rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.</p>
2. Amendment of rule 7	<p>In rule 7 of the Himachal Pradesh Lease Rules, 2013 (hereinafter referred to as the 'said rules'), after the existing provisos, the following proviso shall be added, namely :—</p> <p>“Provided further that it shall be mandatory for the user agency to execute the lease deed within six month after the approval under Forest Conservations Act, 1980.”</p>
3. Amendment of rule 8	<p>In rule 8 of the said rules,—</p> <p>(a) In clause (i), for the second proviso the following proviso shall be substituted, namely :— "Provided further that for the Hydro Electric Projects (HEPs) and other infrastructure projects for which Government forest land has been diverted by the State or Central Government, the lease rent/ amount shall be charged @ Rs. 5 per Sqmt. per annum;</p> <p>(b) In clause (ii) the following proviso shall be inserted, namely :—</p> <p>“Provided that the projects developers who intends to deposit the lease money in one single installment for the complete 40 years shall be exempted from enhancement being made after every 5 years for the project.”</p>

By order,

Sd/-
(ONKAR CHAND SHARMA),
Addl. Chief Secretary (Revenue).

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-02, 18 जून, 2024

संख्या: रैव-डी(जी)7-10/2023.—हिमाचल प्रदेश सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम कुटंग, महाल जंगी, तहसील मूरंग, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश में अवस्थित 0-05-65 हैक्टेयर कुल भूमि हिन्दुस्तान तिब्बत सड़क के पास 394.800 (राष्ट्रीय उच्च मार्ग-05) में दीवार सन्निर्माण के लिए अपेक्षित है।

उपायुक्त किन्नौर के सहायक उपायुक्त, को प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए 'प्रशासक' नियुक्त किया गया है। अतः यह अधिसूचित किया जाता है कि तहसील मूरंग, जिला किन्नौर के ग्राम कुटंग, महाल जंगी, तहसील मूरंग, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश में उक्त प्रयोजन के लिए 0-05-65 हैक्टेयर भूमि का एक टुकड़ा, जिसका विवरण निम्नलिखित है, को अर्जित किया जाना अपेक्षित है:-

भूमि की अनुसूची

निजी भूमि								
ग्राम कुटंग, मोहाल जंगी, तहसील मूरंग, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश								
क्र० सं०	महाल का नाम	तहसील	जिला	खेवट संख्या	खतौनी संख्या	खसरा नम्बर		रकबा (हैक्टेयर में)
1.	कुटंग	मूरंग	किन्नौर	57 मिन	77 मिन	338/316	338/316/1	0-02-03
2.						340/317	340/317/1	0-01-80
3.				55 मिन	75 मिन	339/317	339/317/1	0-00-77
4.						359/342/318	359/342/318/1	0-01-05
							किता-04	0-05-65

यह अधिसूचना, उन सभी जिनसे यह सम्बन्धित है हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 के उपबन्धों के अधीन की गई है।

भू-विवरण एवं योजना का भू-अर्जन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, पूह, जिला किन्नौर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा।

सरकार, उपायुक्त किन्नौर और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि को समतल करने, खुदाई करने और अवमृदा का भेदन करने और समस्त अन्य कार्यों, जो उक्त अधिनियम की धारा-12 के अधीन यथाउपबन्धित कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित हो, करने हेतु अधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से जिला कलेक्टर, किन्नौर के पूर्वानुमोदन के बिना कोई भी लेन-देन संव्यवहार नहीं करेगा या भूमि का कोई भी संव्यवहार अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करवाएगा या भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथाउपबन्धित हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा, भू-अर्जन के आक्षेप, यदि कोई हो, को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, पूह, जिला किन्नौर के समक्ष दायर किए जा सकेंगे।

चूंकि अधिनियम की धारा 40(2) के दायरे में आने वाली परियोजना के लिए भूमि की तत्काल आवश्यकता है, इसलिए विनिश्चय किया गया है कि सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन न किया जाए। उपरोक्त भू-अर्जन के कारण संभाव्य विस्थापित होने वाले परिवारों के ब्यौरे ऐसे विस्थापन की आवश्यकता के कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए सम्यक अनुक्रम में उपलब्ध करवाए जाएंगे।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित /—
अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व)।

[Authoritative English text of this Department's Notification No. Rev-D (G) 7-10/2023, dated 18th June, 2024 as required under clause 3 of Article 348 of the Constitution of India].

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, 18th June, 2024

No. Rev-D (G)7-10/2023.—WHEREAS, it appear to the Government of Himachal Pradesh that a total private land measuring 0-05-65 hectares situated in Village Kutang, Muhal Jangi, Tehsil Moorang, District Kinnaur, H.P is required for the construction of retaining wall at 394.800 (NH-5) on HT Road.

The Assistant Commissioner to Deputy Commissioner, Kinnaur is appointed as 'Administrator' for the purpose of rehabilitation and resettlement of the affected families. Therefore, it is notified that for the above said project in the village Kutang, Muhal Jangi, Tehsil Moorang, District Kinnaur, H.P. a piece of land measuring 0-05-65 hectares, whose detailed description is as below, is under acquisition:—

Schedule of land

Private land								
Village Kutang, Muhal Jangi, Tehsil Moorang, District Kinnaur, H.P								
Sl. No	Name of Muhal	Teshil	District	Khewat Number	Khatouni Number	Khasra Number		Measuring Area (in hectare)
1.	Kutang	Moorang	Kinnaur	57 Min	77 Min	338/316	338/316/1	0-02-03
2.						340/317	340/317/1	0-01-80
3.				55 Min	75 Min	339/317	339/317/1	0-00-77
4.						359/342/318	359/342/318/1	0-01-05
							Kitta-04	0-05-65

This notification is made under the provision of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) to all whom it may concern.

The Land statement and plan may be inspected in the office of the Land Acquisition Officer-cum-Additional District Magistrate, Pooh, District Kinnaur on any working day during the working hours.

The Government authorizes the Deputy Commissioner, Kinnaur and his staff to enter upon and survey land, take levels of any land, dig and bore into the sub-soil and do all other acts as may be required for the proper execution of the work as provided under section 12 of the said Act.

Under Section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase etc. or create any encumbrances or such land from the date of publication of this notification without prior approval of the District Collector, Kinnaur.

Objections of the acquisition, if any, may be filed by the person interested within a period of 60 days from the date of publication of this notification as provided under section 15 of the Act before the Land Acquisition Collector-*cum*-Additional District Magistrate, Pooh, District Kinnaur, H.P.

Since the land is urgently required for the project falling within the purview of section 40(2) of the Act, it has been decided not to carry out the Social Impact Assessment Study. Detail of families likely to be displaced due to aforesaid land acquisition will be provided in due course of time specifying reasons necessitating such displacement.

By order,

Sd/-

Addl. Chief Secretary (Revenue).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर जिला कांगड़ा, हि0प्र0

मुकदमा: इन्तकाल मखफूद उल खबरी

पेशी: 23-07-2024

सुमना देवी पत्नी सुरिन्द्र कुमार पुत्र बंसी लाल, निवासी शाहपुर, तहसील शाहपुर जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना पत्र बाबत इन्तकाल मखफूद—उल—खबरी महाल मुन्दला।

उपरोक्त मुकदमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका पति सुरिन्द्र कुमार पुत्र बंसी लाल, निवासी महाल मुन्दला, डा0 लदवाड़ा, मौजा लदवाड़ा, तहसील शाहपुर जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 अरसा 28 साल पहले सेना की नौकरी हेतु घर से छुट्टी काट कर गए थे परन्तु कहीं रास्ते में ही गायब हो गए और आज दिन तक उनका कोई पता नहीं चल सका है। इस संदर्भ में स्थानीय पुलिस स्टेशन शाहपुर में भी प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। वादिया ने प्रार्थना की है कि उसके पति को मृत मानकर उसका इन्तकाल मखफूद—उल—खबरी महाल मुन्दला व मकड़ोटी में उसके जायज वारसान के नाम दर्ज व तस्दीक किया जाए।

अतः उक्त प्रार्थना—पत्र बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 23-07-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अम्ल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

हस्ताक्षरित,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

व अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर जिला कांगड़ा, हि0प्र0

मुकदमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि

पेशी : 08-08-2024

लक्की पुत्र रीता देवी निवासी रिहालपुरा, डा0 व तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13 (3) पुनरावलोकित, 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण पत्र लेने बारे।

उपरोक्त मुकदमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसकी नानी संधी देवी पुत्री मंगत राम निवासी भनाला का देहांत दिनांक 22-04-2009 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत भनाला के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के संदर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत भनाला के रिकार्ड के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 08-08-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अम्ल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 16-07-2024 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर जिला कांगड़ा, हि0प्र0

मुकदमा: नाम दुरुस्ती

पेशी : 08-08-2024

अरविंद कौंडल पुत्र उधम सिंह, निवासी पोहाड़ा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.—दुरुस्ती नाम हि० प्र० रा० अधिनियम 1954 की जेर धारा 37 (1) के तहत महाल पोहाड़ा में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम अरविंद कौंडल पुत्र उधम सिंह पुत्र परसी है जबकि महाल पोहाड़ा के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम अरविंद कुमार पुत्र उधम सिंह पुत्र परसी दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उपरोक्त महाल में अपने नाम को सही करके अरविंद कुमार उपनाम अरविंद कौंडल पुत्र उधम सिंह पुत्र परसी दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के संदर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 08-08-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 16-07-2024 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि०प्र०।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर जिला कांगड़ा, हि०प्र०

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि

पेशी : 21-06-2024

प्रभात चन्द पुत्र साहब सिंह, निवासी रैत, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि०प्र०।

बनाम

आम जनता

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13 (3) पुनरावलोकित, 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका जन्म दिनांक 15-07-1957 को महाल रैत में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत मकड़ोटी, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के संदर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत रैत, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के रिकार्ड के जन्म रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 21-06-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि०प्र०।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि

पेशी : 21-06-2024

हरनाम सिंह वर्मा पुत्र मोती राम, निवासी डुढम्ब, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित, 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका जन्म दिनांक 20-07-1951 को महाल डुढम्ब में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत डुढम्ब के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत डुढम्ब, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के रिकार्ड के जन्म रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 21-06-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

मुकद्दमा: इन्द्राज जन्म तिथि

पेशी : 21-06-2024

उमेश वर्मा पुत्री राम मेहरा, निवासी दरगेला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13 (3) पुनरावलोकित, 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका जन्म दिनांक 15-01-1960 को महाल दरगेला में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत दरगेला, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के संदर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत दरगेला, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के रिकार्ड के जन्म रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई

एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 21-06-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि

पेशी : 08-07-2024

मीरा देवी पुत्री अजीत सिंह, निवासी मंझग्रां, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13 (3) पुनरावलोकित, 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने कौंसल संजीवन गोस्वामी द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका जन्म दिनांक 22-07-1969 को महाल मंझग्रां में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत मंझग्रां, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के संदर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत मंझग्रां, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के रिकार्ड के जन्म रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 08-07-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर जिला कांगड़ा, हि0प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि

पेशी : 22-07-2024

भूपिन्द्र सिंह पुत्र कर्म चन्द, निवासी नेरटी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

वनाम

आम जनता

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13 (3) पुनरावलोकित, 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण-पत्र लेने बारे।

उपरोक्त मुकदमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके दादा नानक पुत्र सरदा, निवासी नेरटी का देहान्त दिनांक 11-11-1981 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत नेरटी के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के संदर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत नेरटी के रिकार्ड के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 22-07-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

मुकदमा: नाम दुरुस्ती

पेशी : 23-07-2024

कर्म चन्द पुत्र प्रभात सिंह, निवासी चूड़था, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.—दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम 1954 की जेर धारा 37 (1) के तहत महाल चूड़था में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकदमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम कर्म चन्द पुत्र प्रभात सिंह पुत्र रसीलू है जबकि महाल चूड़था के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम कर्म सिंह पुत्र प्रभात सिंह पुत्र रसीलू दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उपरोक्त महाल में अपने नाम को सही करके कर्म सिंह उपनाम कर्म चन्द पुत्र प्रभात सिंह पुत्र रसीलू से दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के संदर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 23-07-2024 को दोपहर बाद 2 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

मुकद्दमा: नाम दुरुस्ती

पेशी : 19-07-2024

सतीश कुमार पुत्र रोशन लाल, निवासी भटेछ, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.—दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम 1954 की जेर धारा 37 (1) के तहत महाल भटेछ में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम सतीश कुमार पुत्र रोशन लाल पुत्र जैसी है जबकि महाल डुढम्ब खास के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम सन्तोष कुमार पुत्र रोशन लाल पुत्र जैसी दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उपरोक्त महाल में अपने नाम को सही करके सन्तोष कुमार उपनाम सतीश कुमार पुत्र रोशन लाल पुत्र जैसी से दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 19-07-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

पेशी 02-08-2024

हितेश कातिया पुत्र नरेश कुमार, निवासी क्योडियां, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.—दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम 1954 की जेर धारा 37 (1) के तहत महाल क्योडियां में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम हितेश कातिया पुत्र नरेश कुमार है जबकि महाल क्योडी के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम हितेश पुत्र नरेश कुमार पुत्र नाथो दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उपरोक्त महाल में अपने नाम को सही करके हितेश उपनाम हितेश कातिया पुत्र नरेश कुमार पुत्र नाथो से दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 02-08-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि

पेशी : 23-07-2024

राज कुमारी पुत्री धनी राम, निवासी गांव कमलाहड़ी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

वनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित, 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका जन्म दिनांक 03-02-1972 को महाल भनाला में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत भनाला, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के संदर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत भनाला, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के रिकार्ड के जन्म रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 23-07-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर जिला कांगड़ा, हि0प्र0

मुकद्दमा: नाम दुरुस्ती

पेशी: 23-07-2024

महिन्द्र सिंह पुत्र दलीपा राम, निवासी धनोदू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.— दुरुस्ती नाम हि० प्र० रा० अधिनियम 1954 की जेर धारा 37(1) के तहत महाल धनोटू में नाम दुरुस्ती वारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पिता का सही नाम दलीपा राम पुत्र सुन्दर है जबकि महाल धनोटू के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम प्रभदयाल पुत्र जैसी दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उपरोक्त महाल में अपने पिता के नाम को सही करके प्रभदयाल उपनाम दलीपा राम पुत्र जैसी उप-नाम सुन्दर से दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के संदर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 23-07-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि०प्र०।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि०प्र०

मुकदमा: नाम दुरुस्ती

पेशी : 23-07-2024

काजल पुत्री बालक राम, निवासी ठारू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि०प्र०

बनाम

आम जनता

विषय.—दुरुस्ती नाम हि० प्र० रा० अधिनियम 1954 की जेर धारा 37 (1) के तहत महाल ठारू में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पिता का सही नाम बालक राम उपनाम सतपाल सिंह पुत्र गौहड़ा पुत्र खजाना है जबकि महाल ठारू के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम लौहकू पुत्र गोहड़ा पुत्र खजाना दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उपरोक्त महाल में अपने पिता के नाम को सही करके लौहकू उपनाम बालक राम उपनाम सतपाल सिंह पुत्र गौहड़ा पुत्र खजाना दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के संदर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 23-07-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि०प्र०।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी : 30-08-2024

प्रार्थी श्री रणजीत कटोच पुत्र होशियार सिंह पुत्र गुलाव, निवासी गांव बाग, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता महाल वाग, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

इशतहार मुश्री मुनादी बनाम आम जनता।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि मेरा सही नाम रणजीत कटोच पुत्र श्री होशियार सिंह है परन्तु महाल आलमपुर व वाग के राजस्व रिकार्ड में मेरा नाम दलजीत सिंह अंकित है जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थी महाल हजा में अपने नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः इस मुश्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम दलजीत सिंह के बजाए रणजीत कटोच करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस अदालत में असागतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर या एतराज दिनांक 03-08-2024 को पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में बाद में किसी किस्म का कोई भी उजर एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 18-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

तारीख पेशी : 03-08-2024

मनभरी देवी पुत्री श्री हीरा सिंह हाल पत्नी प्यार चन्द, निवासी गांव साई, डा0 आलमपुर, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता गांव साई, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुश्री मुनादी.—आम जनता वासी गांव साई, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थिया श्रीमती मनभरी देवी पुत्री श्री हीरा सिंह हाल पत्नी प्यार चन्द, निवासी गांव साई, डा0 आलमपुर, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसके पति की मृत्यु दिनांक 03-10-1978 को गांव साई, डा0 आलमपुर, उप-तहसील

आलमपुर में हुई है लेकिन वह अनभिज्ञता के कारण इस का इन्द्राज ग्राम पंचायत जांगल में दर्ज नहीं करवा सके हैं। जिसे प्रार्थिया अब करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्यार चन्द पुत्र शालीग्राम की मृत्यु दिनांक 03-10-1978 के पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु वह इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 03-08-2024 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 10-06-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

तारीख पेशी : 03-08-2024

वावू राम पुत्र श्री सन्त राम, निवासी गांव लियुण्डा, डा0 सकोह, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता गांव लियुण्डा, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुश्त्री मुनादी.—आम जनता वासी गांव लियुण्डा, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थी श्री वावू राम पुत्र श्री सन्त राम, निवासी गांव लियुण्डा, डा0 सकोह, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसके पिता श्री सन्त राम की मृत्यु दिनांक 30-10-1993 को गांव लियुण्डा, डा0 सकोह, उप-तहसील आलमपुर, में हुई है लेकिन वह अनभिज्ञता के कारण इस का इन्द्राज ग्राम पंचायत सकोह में दर्ज नहीं करवा सके हैं। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्री सन्त राम पुत्र निधू, निवासी गांव लियुण्डा, डा0 सकोह, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) की मृत्यु दिनांक 03-08-1993 के पंजीकरण ग्राम पंचायत सकोह में करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु वह इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 03-08-2024 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 12-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**In the Court of Sh. Vishrut Bharti (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate ,
Fatehpur, Distt. Kangra (H.P.)**

1. Vishal Kumar s/o Chaman Lal, r/o Village Bhatoli Samiyala, P.O. Diana, Sub-Tehsil Rey, District Kangra (H.P.)- 176 058.

2. Anita Devi d/o Pyar Chand, r/o Village Narwana, P.O. Yol, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.)- 176 052

..Applicants.

Versus

General Public

..Respondents.

Subject.—Registration of marriage under Special Marriage Act, 1954 (Central Act 43 of 1954).

Whereas, the above named applicants have made an application under Special Marriage Act, 1954 (Central Act 43 of 1954) alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 04-12-2020 at Luxmi Narayan Temple, Talwara (Punjab), but this marriage has not been entered in the records of the Registrar of Marriage-cum-Panchayat Secretary Diyana, Development Block Fatehpur, District Kangra (H.P.) and whereas the applicants have prayed for the registration of their marriage.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, they should appear before the court of undersigned on 19-06-2024 either personally or through their authorized agent. In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection to the purposed registration of marriage and orders shall be passed *ex-parte* for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 14th day of May, 2024.

Seal.

Sd/-
(VISHRUT BHARTI, HAS),
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Officer,
Fatehpur, Distt. Kangra (H.P.).

**In the Court of Sh. Pardeep Kumar (HPAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Officer
(Civil), Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.)**

1. Kalsang Phuntsok age 44 years s/o Late Tenzin Norbu, r/o 610 S 8th Street, Apartment 307, Minneapolis, Minnesota-55404-1185, U.S.A. at present resident of Upper T.C.V. School, P.O. Dharamshala Cantt., Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.)- 176 216.

2. Tenzin Bhuti d/o Namgyal Tsering, resident of Upper T.C.V. School, P.O. Dharamshala Cantt., Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.)- 176 216

..Applicants.

Versus

General Public

..Respondents.

Subject.—Notice of Marriage.

Whereas, the above named applicants have given notice of intended marriage under section 5 of the Special Marriage Act, 1954 alongwith supporting documents in the presence of three witnesses and has also submitted the declarations required by Section 11 of the said Act and have stated that they intend to get married within three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who has any objection regarding the registration of this marriage may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 23-08-2024. In case no objection is received by 23-08-2024, it will be presumed that there is no objection regarding the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued today on 22-07-2024 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
*Marriage Officer-cum- Sub-Divisional Officer (Civil),
Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.).*

**In the Court of Sh. Kartar Chand, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate
Shahpur, Distt. Kangra (H.P.)**

1. Pankaj Samyal s/o Sh. Kartar Singh, r/o Village Jhullar, P.O. & Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.).

2. Shalini Kapoor d/o Sh. Sahib Singh Kapoor, r/o Village Kairi (Gandhrap), P.O. & Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.) . . Applicants.

Versus

1. General Public

2. Local Registrar, Nagar Panchayat Shahpur

. . Respondents.

Subject.—Application for the Marriage registration u/s 8 of Registration of Marriage Act, 1996.

Pankaj Samyal s/o Sh. Kartar Singh, r/o Village Jhullar, P.O. & Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.) & Shalini Kapoor d/o Sh. Sahib Singh Kapoor, r/o Village Kairi (Gandhrap), P.O. & Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.) have filed an application u/s 8 of Registration of Marriage Act, 1996 alongwith declaration in which they have stated that they have solemnized their marriage on 09-11-2023 at Village Kairi (Gandhrap), P.O. & Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.) as per Hindu rites & customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file an objection personally or in writing before this court on or before 22-08-2024. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Seal.

Sd/-
(KARTAR CHAND),
*Marriage officer-cum- Sub-Divisional Magistrate,
Shahpur, Distt. Kangra (H.P.).*

**In the Court of Sh. Kartar Chand, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate
Shahpur, Distt. Kangra (H.P.)**

1. Pankaj Kumar s/o Sh. Mahinder Singh, r/o Village & P.O. & Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.).

2. Smt. Monika Devi d/o Sh. Sudershan Kumar, r/o Village Tahal, P.O. Darini Sub-Tehsil Darini, Distt. Kangra (H.P.) . . Applicants.

Versus

1. General Public

2. Local Registrar, Nagar Panchayat Shahpur

. . Respondents.

Subject.—Application for the Marriage registration u/s 16 of Registration of Marriage Act, 1954.

Pankaj Kumar s/o Sh. Mahinder Singh, r/o Village & P.O. & Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.) & Smt. Monika Devi d/o Sh. Sudershan Kumar, r/o Village Tahal, P.O. Darini Sub-Tehsil Darini, Distt. Kangra (H.P.) have filed an application u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith declaration in which they have stated that they have solemnized their marriage on 29-04-2024 at Nagani Mata Temple, Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.) as per Hindu rites & customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 22-08-2024. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Seal.

Sd/-
(KARTAR CHAND),
Marriage officer-cum- Sub-Divisional Magistrate,
Shahpur, Distt. Kangra (H.P.).

**In the Court of Sh. Kartar Chand, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate
Shahpur, Distt. Kangra (H.P.)**

1. Rajat Kumar s/o Sh. Azad Singh, r/o Village Jhullar, P.O. & Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.).

2. Sumita d/o Sh. Narinder Kumar, r/o Village & P.O. Dunera, Tehsil Dharkalan, Distt. Pathankot (Pb.) . . Applicants.

Versus

1. General Public

2. Local Registrar, Nagar Panchayat Shahpur

. . Respondents.

Subject.—Application for the Marriage registration u/s 8 of Registration of Marriage Act, 1996.

Rajat Kumar s/o Sh. Azad Singh, r/o Village Jhullar, P.O. & Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.) & Sumita d/o Sh. Narinder Singh, r/o Village & P.O. Dunera, Tehsil Dharkalan, Distt.

Pathankot (Pb.) has filed an application u/s 8 of Registration of Marriage Act, 1996 alongwith declaration in which they have stated that they have solemnized their marriage on 12-03-2024 at Village Jhullar, P.O. & Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.) as per Hindu rites & customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 24-08-2024. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Seal.

Sd/-
(KARTAR CHAND),
Marriage officer-cum- Sub-Divisional Magistrate,
Shahpur, Distt. Kangra (H.P.).

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate Dheera,
Exercising the Powers of Marriage Officer Dheera, Distt. Kangra (H.P.)**

Rajeev Kumar and Anchal Rajput

Versus

General Public

Subject.—Application u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 for the registration of Marriage.

An application under section 16 of special Marriage Act 1954 has been received by the undersigned from Rajeev Kumar s/o Suresh Kumar, r/o Village Kholi, P.O. Gaggal Kholi, Tehsil, Dheera, Distt. Kangra (H.P.) and Anchal Rajput d/o Sushil Kumar, r/o H.No. 66, Street No. 4, Chitti Colony, Bhattian Bet, Ludhiana, Punjab that they have solemnized their marriage on dated 11-07-2024 at Shiv Shakti Mandir, Paddar Chamunda, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.) as per Hindu rites & customs and living as husband and wife since then.

If there is any objection to the registration of this marriage the objection in person or through counsel to be submitted to this office on or before 29-08-2024 otherwise the marriage will be registered.

Seal.

Sd/-
Marriage officer-cum- Sub-Divisional Magistrate,
Dheera, Distt. Kangra (H.P.).

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi (H. P.)**

In the matter of :

1. Sh. Sagar s/o Sh. Ramesh Kumar, r/o H.No. 245, Bhiuli, P.O. Purani Mandi, Tehsil Sadar, Distt. Mandi (H.P.).

2. Smt. Shalu d/o Sh. Prakash Chand, r/o Near B.D.O. Office, Bhiuli, P.O. Purani Mandi, Tehsil Sadar, Distt. Mandi (H.P.) . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act.

Sh. Sagar s/o Sh. Ramesh Kumar, r/o H.No. 245, Bhiuli, P.O. Purani Mandi, Tehsil Sadar, Distt. Mandi (H.P.) & Smt. Shalu d/o Sh. Prakash Chand, r/o Near B.D.O. Office, Bhiuli, P.O. Purani Mandi, Tehsil Sadar, Distt. Mandi (H.P.) [at present w/o Sh. Sagar s/o Sh. Ramesh Kumar, r/o H.No. 245, Bhiuli, P.O. Purani Mandi, Tehsil Sadar, Distt. Mandi (H.P.)] have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 10-12-2012 according to Hindu rites and customs at their respective houses Mandi, Distt. Mandi (H.P.) and they are living together as husband and wife since then, hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 19-08-2024. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 20th day of July, 2024 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar,
District Mandi (H. P.)**

In the matter of :

1. Ram Lal s/o Sh. Sonkia, r/o Village Plahota P.O. Upper Behli, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.).

2. Dassi Devi d/o Khindu Ram, r/o Village & P.O. Kalahod, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.) [at present w/o Sh. Ram Lal s/o Sh. Sonkia, r/o Village Plahota P.O. Upper Behli, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.)] . . Applicants.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act.

Ram Lal and Dassi Devi applicants have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage according to Hindu rites and ceremonies on dated 27-07-1979 and they are living together as husband and wife since then, hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 26-08-2024. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 26-07-2024 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sundernagar, District Mandi (H.P.).*

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Kandaghat, District Solan (H.P.) exercising the Powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954

Case No. : 3/ 2024

Date of Instt. : 24-07-2024

Pending for : 28-08-2024

Notice u/s 16 of the Special Marriage Act, 1954 inviting the objections of the General Public for the registration of marriage.

Notice to the General Public.

Whereas, Shri Madan Kumar s/o Shri Sahibu Ram aged 37 years, r/o Village Kohari, P.O. & Tehsil Kandaghat, District Solan (H.P.) and Smt. Ritu d/o Sh. Budhi Ram aged 36 years, r/o Mitla Niwas, Chamrog, Mahavir Ghati, Sankat Mochan, Tara Devi, Tehsil & District Shimla (H.P.) & presently w/o Shri Madan Kumar s/o Shri Sahibu Ram aged 37 years, r/o Village Kohari, P.O. & Tehsil Kandaghat, District Solan (H.P.) have moved an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 for registration of their marriage which was solemnized on 12-11-2015.

And, whereas both these applicants have submitted in their application and in their affidavits that they were unmarried at the time of solemnization of their marriage and were major in age and having no prohibited relations to each other debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.

Therefore, by this notice the public in general is informed that if any one has any objection regarding registration of this marriage, he/she may present before this court on or before 28-08-2024 for hearing of objections if any. In case no objection is received by dated 28-08-2024, it will be presumed that there is no objection to the registration of the aforesaid marriage and the same will be registered accordingly.

Given under my hand and seal of this court on 24-07-2024.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer-cum- SDM,
Kandaghat, District Solan (H. P.).

**In the Court of Dr. Poonam, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Solan, Tehsil & District Solan (H.P.)**

Notice Under Section 16 of Special Marriage Act.

Whereas, Mr. Som Dutt s/o Mr. Babu Ram, r/o Village Kotla Barog (339), Sirmaur, Distt. Sirmaur (H.P.) and Mrs. Jyoti Rana w/o Mr. Som Dutt, r/o Village Dhaghota, P.O. Kumarhatti, Tehsil & District Solan (H.P.) have filed application for the registration of their marriage which was solemnized on 11-12-2012 and they have been living as husband and wife ever since then.

Notices have been served to all concerned and General Public to this effect if anybody has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between the above parties *i.e.* Mr. Som Dutt s/o Mr. Babu Ram, r/o Village Kotla Barog (339), Sirmaur, Distt. Sirmaur (H.P.) and Mrs. Jyoti Rana w/o Mr. Som Dutt, r/o Village Dhaghota, P.O. Kumarhatti, Tehsil & District Solan (H.P.) they may file their written objections and appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issuance of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court post which no objection will be heard or accepted.

Issued under my hand and seal on this 23rd day of July, 2024.

Seal.

Sd/-
(DR. POONAM, HPAS),
Marriage Officer-cum-
Sub-Divisional Magistrate,
Solan, District Solan (H. P.).

ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 001, the 26th July, 2024

No. 1-31/2023.—*Ex-post facto* sanction is hereby accorded to the grant of 10 days earned leave *w.e.f.* **01st to 10th July, 2024** in favour of **Smt. Ranjana Patial, Deputy Advocate General** with permission to avail prefix *i.e.* Sunday falling on 30th June, 2024.

Certified that **Smt. Ranjana Patial, Deputy Advocate General** would have continued to officiate but for his proceeding on 10 days earned leave and this period will count for continuation of his service.

Certified that **Smt. Ranjana Patial, Deputy Advocate General** was likely, on the expiry of leave will return for duty to the station from where she proceeded on leave.

Sd/-
(RAKSH PAUL SINGH),
Deputy Advocate General.

ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 001, the 16th July, 2024

No. 1-16/2024.—*Ex-post facto* sanction is hereby accorded to the grant of five days earned leave *w.e.f.* **15th to 19th July, 2024** in favour of **Sh. Leela Nand Sharma, Addl. Advocate General** with permission to avail prefix *i.e.* Second Saturday and Sunday falling on 13th and 14th July 2024.

Certified that **Shri Leela Nand Sharma, Additional Advocate General** would have continued to officiate but for his proceeding on 05 days earned leave and this period will count for continuation of his service.

Certified that **Shri Leela Nand Sharma, Additional Advocate General** was likely, on the expiry of leave will return for duty to the station from where he proceeds on leave.

Sd/-
(RAKSH PAUL SINGH),
Deputy Advocate General.